रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2014/चैत्र 21, 1936
No. 209] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2014/CHAITRA 21, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 279(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षा अनुसार उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट थी, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. उक्त प्रारूप नियमों के सबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

3. इन प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् भवन, नई दिल्ली -- 110001 को अग्रेषित किए जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, ये नियम राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 96ग में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक कृषि ट्रेक्टर, समय-समय पर यथा संशोधित, नियम 97 के उप नियम (3) में निर्दिष्ट ए.आई.एस. : 043-2005 विनिर्देशन के कृषि ट्रेलर को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात् :--

(क) एक हाइड्रोलिक पंप और वाल्व, जिसके साथ समुचित जोड़ पाइप हों ;

(ख) ट्रेक्टर और ट्रेलर के बीच समक्रमिक ब्रेक क्रिया को सुकर बनाने के लिए ट्रेक्टर पर एक हाइड्रोलिक पाइप और दाब लाइन हो, जो ट्रेक्टर के पिछले भाग पर समाप्त होती हो ; और

(ग) धारक के मैनुअल में, ट्रेक्टर के पिछले भाग पर उपलब्ध ब्रेक लाइन दाब, ट्रेक्टर के प्रत्येक प्रकार और माडल के लिए, विनिर्माता द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हो ।

[फा. सं. आर.टी.- 11036/31/2010-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और सा.का.नि. 152(अ), तारीख 5 मार्च, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2014

G.S.R. 279(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the notification are made available to the public.

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 96C, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that every agricultural tractor manufactured on and after 1st September, 2014, shall meet the following requirements to facilitate agricultural trailer of AIS:043-2005 specification referred to in sub-rule (3) of rule 97, as amended from time to time, namely:-

(a) a hydraulic pump and valve with suitable pipe connections;

(b) a hydraulic piping and pressure lines on the tractor, which shall be terminated at the rear end of the tractor, to facilitate synchronized braking action between the tractor and the trailer; and

(c) the brake line pressure available at the rear end of the tractor shall be clearly specified by the manufacturer for each type and model of the tractor, in the owner's manual."

[No.RT-11036/31/2010-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were notified vide G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. 152(E) dated the 5th March, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.